न्यायालय– अहमद रज़ा, विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) उमरिया (म0प्र0)

Case No-BA/253/2026
CNR : MP5401-002183-2026
Filling No.1714/2026
Filling Date.24/06/2026

संजय द्विवेदी पिता हेमराज द्विवेदी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बसोहरा, थाना जैसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

.....आवेदक / अभियुक्त

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र उमरिया, जिला उमरिया (म0प्र0)

.....अनावेदक / राज्य

25.06.2026 आवेदक / अभियुक्त **संजय द्विवेदी** द्वारा श्री पुष्पराज सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य द्वारा श्रीमती रचना गौतम, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदक / अभियुक्त **संजय द्विवेदी** के प्रथम **जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** पर विचार हेतु नियत है।

Registration of offence	8 / 20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
F.I.R. Number	89 / 2024
Date of Registration of F.I.R	24.02.2024
Name of Police Station	थाना उमरिया, जिला उमरिया
Criminal Antecedents	–
Date of Arrest of the Accused	–
Investigation Pending	हॉ।

Chargesheet filed/ Date of Filing of Chargesheet	नहीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा S.I.P (CLR) NO.1400/2025 MUNNESH vs State of uttar pradesh order में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 में दिये गए दिशा निर्देशानुसार इस प्रकरण से संबंधित आवश्यक तथ्यात्मक स्थिति, उक्त न्याय दृष्टांत में बताये गये प्रारूप पर निम्नानुसार हैः–

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपलब्ध कराया गया आपराधिक अभिलेखः–

s.n	FIR No.	sections	police station	distict	status pending convicted acquittal
1.	–	–	–	–	–

अभियोजन की ओर से उपलब्ध कराया गया आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक अभिलेखः–

s.n	FIR No.	sections	police station	distict	status pending convicted acquittal
1-	–	–	–	–	–

पुलिस थाना उमरिया के अपराध क्रमांक–89/2024 अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त एवं इस न्यायालय में लंबित विशेष एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्रमांक 05/2024 म.प्र. राज्य विरूद्ध सुमित शुक्ला एवं अन्य प्रस्तुत।

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रस्तुत जमानत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक/अभियुक्त का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। सहअभियुक्तगण ने अपने मेमोरेण्डम कथन में

आवेदक/अभियुक्त के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण जमानत पर स्वतंत्र होकर विचारण का सामना कर रहे हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए 3–4 बार उसके घर में दबिश दे चुकी है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम बसोहरा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) का स्थाई निवासी है, जहां उसकी चल व अचल संपत्ति है, जिससे उसके कहीं भागने एवं फरार होने की संभावना नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत मुचलके पर स्वतंत्र किये जाने का निवेदन किया।

आवेदक/अभियुक्त के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होने के संबंध में आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और यह बताया गया कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पर अपनी मौखिक आपत्ति व्यक्त करते हुये आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की हैं।

थाना उमरिया, जिला उमरिया से प्राप्त अपराध क्रमांक–89/2024 की केस डायरी के अनुसार, दिनांक 23.02.2024 को आरक्षी केन्द्र उमरिया के सहायक उपनिरीक्षक अमरबहादुर सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि दो व्यक्ति सिल्वर ग्रे रंग के अपाचे मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 18 जेड ए 4069 में बीच में सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर मानपुर से खेरवाखुर्द तरफ बेचने के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ग्रे रंग का हाफ टी शर्ट तथा मटमैले रंग का नीला पैंट पहने तथा दूसरा व्यक्ति सफेद रंग का चेक शर्ट एवं ग्रे रंग की मंकी वास जीन्स पहने है। यदि तत्काल कार्यवाही

की जाती है तो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया जा सकता है। मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना स्थल पहुंचकर घेराबंदी कर रोका गया एवं दस्तयाब व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम सुमित शुक्ला पिता भगवानदास शुक्ला एवं दूसरे ने अपना नाम सिद्धार्थ मिश्रा पिता हरिहर प्रसाद मिश्रा बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्तगण के मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 18 जेड ए 4069 में सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले में एक भूरे रंग के टेप से लिपटे हुए 10 नग पैकेटों के अंदर कुल 10 किलो 200 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसे जप्त किया गया।

उक्त कार्यवाही के आधार पर थाना उमरिया में मौके पर संपूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना उमरिया में अपराध क्रमांक 89/2024 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।

केस डायरी एवं विशेष एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्रमांक 05/2024 म.प्र. राज्य विरूद्ध सुमित शुक्ला एवं अन्य में संलग्न सह–अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन से यह तथ्य प्रकट हुए है कि आवेदक/अभियुक्त संजय द्विवेदी ने अपने पुत्र के माध्यम से जप्तशुदा गांजा सह–अभियुक्त को भिजवाया था और वही गांजा सहअभियुक्तगण से जप्त हुआ था। आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता दर्शित हो रही है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क, वर्तमान प्रकरण पर अनुसंधानकर्ता एजेंसी द्वारा संकलित की गई साक्ष्य के अवलोकन से आक्षेपित कृत्य में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित हो रही है। अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर विचार करते समय प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना केस डायरी के परिशीलन से वर्तमान प्रकरण इस स्वरूप का दर्शित नहीं होता कि आवेदक/अभियुक्त के पक्ष में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने संबंधी असाधारण क्षेत्राधिकार का लाभ दिया जाए। वर्तमान प्रक्रम पर केस डायरी के

अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट नहीं होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ संबंधित थाने की केस डायरी वापस कर पावती ली जावे।

आदेश की एक प्रति विशेष सत्र प्रकरण में संलग्न की जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम विधिवत सी.आई.एस. में दर्ज कर, आदेश को अपलोड किया जाकर, आदेश पत्रिका मय प्रपत्र के अभिलेखागार में संचित की जावे।

AHMED RAZA

Digitally signed by AHMED RAZA

(अहमद रज़ा)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
उमरिया (म0प्र0)